

**उत्तराखण्ड ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/
पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग/बी0एस0सी0 पैरामेडिकल काउंसिलिंग-2018 की
ऑनलाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों के लिए नियम, शर्तें
एवं महत्वपूर्ण निर्देश**

समस्त नर्सिंग/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की राज्य कोटे की सीटों में प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम एवं कालेज का आवंटन उत्तराखण्ड ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं बी0एस0सी0 पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षाएँ-2018 के परीक्षा परिणाम की मेरिट के आधार पर पाठ्यक्रमवार **आन-लाईन** काउंसिलिंग के माध्यम से किया जाएगा।

ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं बी0एस0सी0 पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की राज्य कोटे की सीटों में राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश हेतु संबंधित अभ्यर्थी **केवल उन्हीं** पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन कर सकेगा, जिस पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों विशेष की लिखित प्रवेश परीक्षा में वह सम्मिलित हुआ हो।

आनलाईन काउंसिलिंग हेतु नियम व शर्तें निम्नवत हैं:-

- 1- उत्तराखण्ड ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0/बी0एस0सी0 पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2018 की काउंसिलिंग प्रक्रिया **online** माध्यम से सम्पन्न कराई जायेगी।
- 2- काउंसिलिंग की प्रक्रिया, तिथियाँ, समय एवं काउंसिलिंग संबंधी अन्य जानकारियाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in पर विभिन्न लिंकों के माध्यम से अपलोड की गई हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजा जाएगा।
- 3- भविष्य में काउंसिलिंग सम्बन्धी अद्यतन सूचनाएँ/अपडेट समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in में ही अपलोड की जायेगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजा जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में विश्वविद्यालय की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन अवश्य करते रहें।
- 4- उत्तराखण्ड ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0/बी0एस0सी0 पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2018 में उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों, जिनके द्वारा नियमानुसार काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण करवा गया हो, को काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के माध्यम से संबंधित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा में उनकी अर्हता, मेरिट, उनके द्वारा चुने गये विकल्प (**choice**) एवं उस समय उपलब्ध राज्य कोटे की सीटों के आधार पर नियमानुसार सीट आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।
- 5- मात्र उत्तराखण्ड ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग/बी0एस0सी0 पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2018 में उत्तीर्ण होने से ही अभ्यर्थी का नर्सिंग/पैरामेडिकल कॉलेजों की राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। अभ्यर्थी का चयन एवं प्रवेश संबंधित पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में उसकी मेरिट, चुने गये संस्थान के विकल्प, उत्तराखण्ड ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग/बी0एस0सी0 पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2018 की सूचना विवरणिकाओं में प्रकाशित अर्हताओं, आरक्षण के नियमों इत्यादि के काउंसिलिंग की तिथि तक अद्यतन प्राविधानों/शर्तों के अन्तर्गत होगा।
- 6- उत्तराखण्ड ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं बी0एस0सी0 पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2018 में उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन की कार्यवाही में सम्मिलित होने के लिये संबंधित काउंसिलिंग चरण हेतु निर्धारित समयावधि के अन्दर निम्न विवरणानुसार Online काउंसिलिंग धनराशि **Online** माध्यम से पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा करना **अनिवार्य** होगी:-

- ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम हेतु – रूपया 500/-
- जी0एन0एम0 पाठ्यक्रम हेतु – रूपया 500/-
- बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु – रूपया 500/-
- एम0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु – रूपया 500/-
- पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु – रूपया 500/-
- बी0एस0सी0 पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु – रूपया 500/-

अभ्यर्थी द्वारा जिन-जिन पाठ्यक्रमों की लिखित प्रवेश परीक्षा दी गयी है, उन्ही पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों की काउन्सिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी को संबंधित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों विशेष में निर्धारित काउन्सिलिंग पंजीकरण धनराशि रूपया-500/- (प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु पृथक-पृथक पंजीकरण) जमा कर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

पाठ्यक्रमवार काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित प्रक्रियानुसार पंजीकृत अभ्यर्थी ही संबंधित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों की काउन्सिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन हेतु अर्ह माने जायेंगे।

- 7- पंजीकरण शुल्क Non-Refundable होगा। अतः प्रत्येक अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे काउन्सिलिंग हेतु अपना पंजीकरण कराने से पूर्व सूचना विवरणिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अपनी अर्हता को सुनिश्चित कर लें। एक बार जमा किया गया पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा।

नोट:- यदि कोई इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी किसी भी नर्सिंग/पैरामेडिकल पाठ्यक्रम की आनलाईन काउन्सिलिंग में अपलोड किये गये मूल अभिलेखों की स्कैन पी0डी0एफ0 (PDF) कापी, च्वाइस फीलिंग में कोई भी परिवर्तन चाहता है तो अभ्यर्थी को संबंधित काउन्सिलिंग चरण हेतु पंजीकरण की निर्धारित तिथियों के दौरान ही, संशोधन हेतु रूपया- 200/- (रूपया दो सौ) Online माध्यम से संशोधन पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार का संशोधन (केवल च्वाइस फीलिंग एवं अभिलेख अपलोड) करने हेतु, अभ्यर्थी को प्रत्येक बार रूपया 200/- /-(रूपया दो सौ) देकर पंजीकरण की निर्धारित तिथियों के दौरान ही पूर्ण रूप से भरना होगा। प्रत्येक संशोधन के पश्चात पूर्व में किया गया आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार के संशोधन के लिये आवेदन ई-मेल/दूरभाष के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जायेगा। यहाँ स्पष्ट करना है कि किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा देते समय भरे गये विवरण में कोई भी परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।

- 8- यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चरण की काउन्सिलिंग में उपरोक्त बिन्दु में उल्लिखित विवरणानुसार शुल्क जमा कराकर अपना पंजीकरण करवा चुका है और वह द्वितीय काउन्सिलिंग चरण में भी सम्मिलित होना चाहता है, तो उसे इस हेतु अलग से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं जमा कराना होगा।
- 9- यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चरण की काउन्सिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं किया गया है, तथा वह द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में सम्मिलित होना चाहता है। तो वह द्वितीय काउन्सिलिंग चरण में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकरण शुल्क जमा करवा कर सम्मिलित हो सकता है, किन्तु ऐसे अभ्यर्थी को सीट आवंटन द्वितीय काउन्सिलिंग चरण विशेष में उपलब्ध सीटों एवं उसकी मेरिट, अर्हता के आधार पर होगा।
- 10- यदि किसी अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा प्रथम चरण में सीट आवंटित होती है और उसके द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत संबंधित आवंटित संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है, तो उसे द्वितीय काउन्सिलिंग चरण में अपग्रेडेशन हेतु सम्मिलित होने हेतु पुनः पंजीकरण कराने की अनुमन्यता होगी, परन्तु इस हेतु उसे कोई अतिरिक्त पंजीकरण धनराशि नहीं जमा करनी होगी।
- 11- यदि किसी अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा प्रथम चरण में सीट आवंटित होती है और उसके द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत संबंधित आवंटित संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाती है, तो उसे द्वितीय काउन्सिलिंग चरण में सम्मिलित होने हेतु पुनः

पंजीकरण कराने की अनुमन्यता होगी, परन्तु इस हेतु उसे पुनः धनराशि रुपया 500/- आन लाईन माध्यम से जमा करवा कर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

- 12- काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा एक बार सीट आवंटित होने के उपरान्त, आवंटित सीट को उस काउन्सिलिंग चरण विशेष में बदला नहीं जाएगा।
- 13- उत्तराखण्ड ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं बी0एस0सी0 पैरामेडिकल काउन्सिलिंग-2018 के माध्यम से काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किये गये आवंटन एवं सम्बन्धित संस्थान द्वारा दिये गये प्रवेश प्रथम दृष्टया अस्थाई होंगे तथा उन्हें बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार काउन्सिलिंग बोर्ड/उत्तराखण्ड शासन के पास सुरक्षित होगा।
- 14- सीट आवंटन हेतु मुख्यतः दो चरणों (प्रथम एवं द्वितीय चरण) में ही काउन्सिलिंग करायी जाएगी। इसके उपरान्त भी सीटें रिक्त रहने की दशा में यथा आवश्यकता केवल राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों की उपलब्ध रिक्त सीटों हेतु मॉप-अप चरण (मैनुवल आधार पर) की काउन्सिलिंग राजकीय मेडिकल कालेज, रामपुर रोड, हल्द्वानी में निर्धारित समयावधि में सम्पन्न कराई जायेगी।
- 15- द्वितीय काउन्सिलिंग चरण के उपरान्त निजी नर्सिंग/ पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों की राज्य कोटे की रिक्त रहने/होने वाली सीटों को सम्बन्धित निजी नर्सिंग/पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों द्वारा स्वयं के स्तर से नियमानुसार भरा जाएगा।
- 16- प्रत्येक काउन्सिलिंग चरण में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से नियमानुसार अपना ऑन-लाईन पंजीकरण करते हुये अपनी नवीन च्वाईस दर्ज (Lock) करानी होगी। अन्यथा की दशा में वे संबंधित काउन्सिलिंग चरण में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे।
- 17- कालेज विवरण (Contact details) विश्वविद्यालय की वेबसाइट पृथक लिंग पर अपलोड किये गये हैं। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि कालेज का विकल्प चयन करने से पूर्व कालेज द्वारा लिये जाने वाले शुल्क (शिक्षण एवं अन्य शुल्क) इत्यादि प्रवेश प्रक्रिया के बारे में समस्त जानकारी कालेज स्तर से दूरभाष पर वार्ता कर प्राप्त कर लें।
- 18- अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि काउन्सिलिंग चरणवार/कालेजवार उपलब्ध सीटों की संख्या, संबंधित कालेज का शिक्षण शुल्क एवं अन्य विवरण भली-भांति देखकर ही अपनी च्वाईस लॉक करायें। यदि किसी संस्थान/पाठ्यक्रम विशेष में प्रवेश लेने हेतु अभ्यर्थी इच्छुक ना हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे उस संस्थान/पाठ्यक्रम विशेष का विकल्प ना चयन करें। अभ्यर्थी द्वारा संस्थान/पाठ्यक्रम के चयन के संबंध में हुयी किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु विश्वविद्यालय/काउन्सिलिंग बोर्ड का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 19- यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा संबंधित चरण की काउन्सिलिंग विशेष में एक से अधिक बार संशोधन किया जाता है, तो नियमानुसार ही पंजीकरण की निर्धारित तिथियों के दौरान, रुपया 200/- जमा करते हुये, जो अभ्यर्थी द्वारा अन्तिम संशोधित आनलाईन आवेदन किया गया होगा, को ही अन्तिम आवेदन माना जायेगा। अभ्यर्थी अन्तिम बार भरी गई च्वाईस का प्रिंट आऊट अपने पास अभिलेख भविष्य हेतु सुरक्षित रखें।
- 20- ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण की काउन्सिलिंग में आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो तथा वे द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में सीट आवंटन की कार्यवाही में नियमानुसार सम्मिलित होकर उक्त आवंटित संस्थान को बदलना (अपग्रेडेशन) चाहते हो, तो उन्हें इसकी अनुमति होगी। परन्तु उक्त सीट आवंटन की कार्यवाही केवल अभ्यर्थी की उत्तराखण्ड ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2018 की मेरिट एवं द्वितीय चरण में उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही की जाएगी।
- 21- एक बार पूर्व आवंटित सीट को परिवर्तित (अपग्रेडेशन) कर यदि अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा दूसरे संस्थान की सीट आवंटित कर दी जाती है तो उसका पूर्व में आवंटित सीट पर

अधिकार तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा तथा उस रिक्त सीट को काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा मेरिट के क्रम में अगले अर्ह इच्छुक अभ्यर्थी को आवंटन कर दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सीट परिवर्तन(अपग्रेडेशन) का विकल्प चयन करने से पूर्व ध्यान पूर्वक विचार कर लें।

- 22- अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही में आवंटित हुई सीट पर प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्दर सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश सम्बन्धित समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में उस आवंटित सीट विशेष को रिक्त मानते हुये आगामी काउन्सिलिंग चरण में पुनः सम्मिलित किया जायेगा। यद्यपि यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चरण की काउन्सिलिंग में बोर्ड द्वारा उसको आवंटित हुयी सीट पर निर्धारित समयावधि अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है तो उसे द्वितीय काउन्सिलिंग चरण में सम्मिलित होने हेतु पुनः पंजीकरण कराने की अनुमन्यता होगी, परन्तु इस हेतु उसे पुनः धनराशि रुपया 500/- आन लाईन माध्यम से जमा करवा कर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
- 23- आवंटित सीट पर प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन के उपरान्त समस्त वांछित मूल दस्तावेज/अभिलेख एवं ऑनलाईन माध्यम से डाउनलोड किये गये सीट आवंटन पत्र की प्रति सहित संबंधित आवंटित कालेज के प्राचार्य अथवा नामित प्रतिनिधि के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। अभिलेखों की छायाप्रति एवं अभ्यर्थी के स्थान पर किसी प्रतिनिधि की उपस्थिति प्रवेश हेतु अनुमन्य नहीं होगी।
- 24-विकलाग श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों के सापेक्ष प्रवेश लेने हेतु अभ्यर्थी को महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा इस हेतु गठित विशेष मेडिकल बोर्ड के सम्मुख दिनांक 15 अक्टूबर 2018 को प्रातः 09:30 बजे से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के देहरादून स्थित कार्यालय 105 चन्दर नगर, देहरादून में स्वयं उपस्थित होकर विकलांगता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। यह प्रमाण-पत्र दिनांक 16 अक्टूबर 2018 तक अनिवार्य रूप से केवल विश्वविद्यालय की ई-मेल (info.hnbumu@gmail.com) में भेजना होगा। दिनांक 16 अक्टूबर 2018 के पश्चात् प्रेषित प्रमाण पत्र किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं होंगे।

उत्तराखण्ड ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं बी0एस0सी0 पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2018 ऑनलाईन काउन्सिलिंग हेतु अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किये जाने वाले अभिलेख

मेरिट सूची में आए अभ्यर्थियों को ऑनलाईन माध्यम से निर्धारित समय-सीमान्तर्गत **ऑनलाईन काउन्सिलिंग पंजीकरण प्रक्रिया** को पूर्ण करते हुए (कॉलेजवार च्वाइस सहित) निम्नलिखित मूल अभिलेखों की स्वः सत्यापित प्रति PDF format में अपलोड करनी अनिवार्य होगी :-

1. श्रेणी प्रमाण-पत्र (केवल SC/ ST/OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु) केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी निवासी अभ्यर्थियों हेतु।
2. उप-श्रेणी प्रमाण-पत्र (केवल FF/DPW/PWD श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु) केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी निवासी अभ्यर्थियों हेतु।
3. उत्तराखण्ड के स्थायी/मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र। (यदि आवश्यक हो तो)
4. निर्धारित पंजीकरण शुल्क (केवल Online के माध्यम से)
5. किसी राजकीय विभाग में कार्यरत नियमित कार्मिको हेतु उनके नियोक्ता विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

नोट :- 1. आनलाईन काउन्सिलिंग हेतु मात्र उपरोक्त अभिलेख ही उपलोड करे जाने हैं किसी प्रकार की Undertaking या Affidavit अथवा Acknowledgement मान्य नहीं होगा।

2. काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी को सीट आवंटन उसके द्वारा आन लाईन आवेदन प्रपत्र में भरी गयी [सूचना/विवरण](#) के आधार पर किया जायेगा। परन्तु अभ्यर्थी को आवंटित संस्थान में प्रवेश लेने के समय संबंधित पाठ्यक्रम की राज्य कोटे की सीट पर अपनी अर्हता के संबंधित समस्त अंक तालिकाये/ प्रमाण पत्र/अभिलेख मूल रूप में संबंधित कालेज के प्राचार्य को उपलब्ध कराने अनिवार्य होंगे। अन्यथा की दशा में उसको प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
3. यदि कोई अभ्यर्थी संबंधित पाठ्यक्रम की राज्य कोटों की सीट पर निर्धारित मानकानुसार अर्हता नहीं रखता है तो उसका प्रवेश संबंधित संस्थान द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
4. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति अनुसार ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 03 वर्ष हेतु ही मान्य है। अर्थात् ओ0बी0सी0 श्रेणी का प्रमाण पत्र दिनांक 31.10.2018 तक अथवा काउन्सिलिंग चरण विशेष एवं संस्थान में प्रवेश की तिथि तक मान्य/वैध (valid) होना चाहिए। अतः ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने जाति प्रमाण पत्र की मान्यता/वैधता (validity) को भली-भांति जांच लें। अमान्य (invalid) ओ0बी0सी0 जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
5. शासनदेश संख्या 570/कार्मिक-2/2004 दिनांक 22 मई, 2004 के क्रम में 05 प्रतिशत आरक्षण का लाभ केवल भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को देय होगा।

उत्तराखण्ड के निवासी भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा युद्ध में शहीद सैनिकों के पुत्र एवं पुत्रियों के लिए निर्धारित उपश्रेणी (DPW - 5%) में ITBP/CRPF/A ssam Rifle/BSF/CISF/GREF/SSB तथा अन्य Paramilitary Forces को उक्त श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

- छात्रों हेतु संस्थानवार पाठ्यक्रमवार काउन्सिलिंग हेतु उपलब्ध राज्य कोटे की सीटों की मैट्रिक्स वेबसाइट के पृथक लिंक पर अपलोड किया गया है। सीटों की संख्या घट या बढ़ भी सकती हैं तथा नर्सिंग काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली/ उत्तराखण्ड राज्य नर्सिंग काउन्सिल ऑफ इण्डिया, देहरादून/उत्तराखण्ड शासन की कालेज विशेष के बारे में अधुनान्त निर्देशों पर भी निर्भर करेगी।
- उक्त प्रदर्शित सीटों (जिसमें आरक्षित श्रेणी की सीटें भी सम्मिलित हैं) कमी, बढ़ोतरी अथवा उनके सम्बन्ध में अन्य कोई भी परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार राज्य सरकार/ काउन्सिलिंग बोर्ड के पास सुरक्षित होगा।
- उक्त प्रदर्शित सीटों में प्रवेश का निर्णय काउन्सिलिंग की तिथि तक भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन की अनुमति की स्थिति पर निर्भर करेगा।

प्रवेश उपरान्त जमा शुल्क वापसी के नियम

- यदि कोई अभ्यर्थी काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन किये जाने के उपरान्त आवंटित संस्थान में प्रवेशित सीट पर प्रवेश लेने के पश्चात सीट छोड़ता है (स्वयं की इच्छानुसार सीट छोड़ने एवं अथवा बोर्ड द्वारा आगामी काउन्सिलिंग चरण में संस्थान अपग्रेड (परिवर्तित) होने की दशा में) तो इस दशा में उसे सम्बन्धित संस्थान में जमा किये गये शिक्षण शुल्क में से अधिकतम धनराशि ₹0 1000/- मात्र की कटौती के उपरान्त शेष जमा धनराशि सम्बन्धित संस्थान द्वारा वापस की जाएगी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा सम्बन्धित संस्थान में उपभोग की गयी सेवाओं (यथा छात्रावास, मैस आदि) के सापेक्ष वास्तविक शुल्क धनराशि की कटौती भी उसके द्वारा इस हेतु जमा शुल्क में से की जाएगी। परन्तु दिनांक 31.10.2018 अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त सीट छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

कुलसचिव

हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय